



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224390
CG-DL-E-14012021-224390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942

No. 121]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 141(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. नं. 2914(अ) ता.27 अगस्त 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH27 के कि.मी. 185.23 से कि.मी.215.6 (राजकोट-बामणबोर सेक्शन) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण (चौड़ी करण / छ-मार्गीकरण), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 03/09/2020 को "दिव्य भास्कर" और "द ईंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी

रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH27 के कि.मी. 185.23 से कि.मी.215.6 (राजकोट-बामणबोर सेक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: राजकोट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राजकोट				
	गांव का नाम: आणंदपर				
1	194	निजी	गैर-कृषि	0.0032	यूनाइटेड पेपर इंडस्ट्रीज (194 पैकी 1)
2	198	निजी	कृषि	0.0249	भीमजीभाई जेरामभाई, नरसीभाई जेरामभाई, वालजीभाई जेरामभाई, करशनभाई जेरामभाई, कानजीभाई जेरामभाई (198 पैकी 1)
3	201	निजी	कृषि	0.0048	सोलंकी खीमजीभाई नाथाभाई, सोलंकी अमृतलाल नाथाभाई, सोलंकी भीमजीभाई त्रिकमभाई, सोलंकी कांतीलाल त्रिकमभाई, सोलंकी सुरेशभाई त्रिकमभाई (201 Paiki 1)
	गांव का नाम: कुचियादड				
4	5	निजी	गैर-कृषि	0.1223	रोड / रास्ता (5 पैकी)

5	64	निजी	कृषि	0.0657	दिनेशभाई भाणाभाई अजाणी, सुरेशभाई भाणाभाई अजाणी, नानजीभाई भाणाभाई अजाणी (64)
6	65	निजी	कृषि	0.0234	दिनेशभाई भाणाभाई (65 / 1 पैकी 1)
7	65	निजी	कृषि	0.0308	सुरेशभाई भाणाभाई (65/1 पैकी 2)
8	65	निजी	कृषि	0.0168	नानजीभाई भाणाभाई (65/1 पैकी 3)
			कुल	0.2919	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 141(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.2914(E) dated 27th AUGUST 2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (Widening / Six Laning, etc.) of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH27 on the stretch of land from **Km 185.23 to Km 215.6 (RAJKOT-BAMANBORE SECTION)** in the district of RAJKOT in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Divya Bhaskar**” and “**The Indian Express**” both **dated 03/09/2020**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH27 in the stretch of land from Km. 185.23 to Km. 215.6 (RAJKOT-BAMANBORE SECTION) in the district of RAJKOT in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: RAJKOT			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rajkot				
	Village: Anandpar				
1	194	Private	Non-Agriculture	0.0032	United Paper Industries 194 paiki 1
2	198	Private	Agriculture	0.0249	Bhimjibhai Jerambhai, Narshibhai Jerambhai, Valjibhai Jerambhai, Karashanbhai Jerambhai, Kanjibhai Jerambhai 198 paiki 1
3	201	Private	Agriculture	0.0048	Solanki Khimajibhai Nathabhai, Solanki Amrutlal Nathabhai, Solanki Bhimajibhai Trikambhai, Solanki Kantilal Trikambhai, Solanki Sureshbhai Trikambhai 201 Paiki 1
	Village: Kuchiyadad				
4	5	Private	Non-Agriculture	0.1223	Road/Rasta 5 paiki
5	64	Private	Agriculture	0.0657	Dineshbhai Bhanabhai Ajani, Sureshbhai Bhanabhai Ajani, Nanjibhai Bhanabhai Ajani 64
6	65	Private	Agriculture	0.0234	Dineshbhai Bhanabhai 65 / 1 paiki 1
7	65	Private	Agriculture	0.0308	Sureshbhai Bhanabhai 65/1 paiki 2
8	65	Private	Agriculture	0.0168	Nanjibhai Bhanabhai 65/1 paiki 3
			TOTAL	0.2919	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]
RAJESH GUPTA, Director